

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान २१/२१..... बनाम महेंद्र

मुकदमा संख्या T.I. 28/2023

25/9/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 की भूमि ग्राम सारंग का बास, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर अवस्थित खसरा नम्बर 310/1 रकबा 0.3035 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.3288 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम